



राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

प्रकरण संख्या 11/2025

प्रार्थी/सायल
राजस्थान सरकार जरिये
हल्का पटवारी भेडाणा

बनाम

अप्रार्थी/गैर सायल
सांकलाराम पुत्र दीपाराम(वगैरह)
जाति कलबी निवासी भेडाणा
तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक:- 01.10.2025

निर्णय

प्रकरण से संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार है कि पटवारी हल्का भेडाणा ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा मांगजी की ढाणी के ख.न. 820/722 रकबा 0.0360 हैक्टैयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता(राजकीय भूमि) में से 0.0360 हैक्टैयर पर अनाधिकृत कब्जा कर अतिक्रमी द्वारा कांटेदार बाड़ बनाकर अतिक्रमण/अतिचार किया है। अतः गैर सायलन् के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने तथा उक्त भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्ट्रर कर गैर सायलन् को नोटिस जारी किये गये।

सुनवाई की नियत तिथि को सायल हल्का पटवारी उपस्थित, गैर सायलन् अनुपस्थित। गैर सायलन् को सुनवाई का पूनः अवसर दिया जाकर पत्रावली 01.10.2025 पेश हुई। गैर सायलन् को सुनवाई का दुबारा मौका देने व खुले न्यायालय में तीन बार तीन-तीन आवाज लगाने के तदुपरान्त अनुपस्थित रहे। अतः गैर सायलन् के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

हमने पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया। प्रश्नगत भूमि किस्म गैर मुमकिन रास्ता(सरकारी भूमि) है जिस पर गैर सायलन् का अनाधिकृत कब्जा साबित होता है। अतः गैर सायलन् को उक्त भूमि का अतिक्रमी घोषित किया जाकर लगान 0.03 का राउण्ड अप 1 रुपये का 50 गुना शास्ति आरोपित करते हुए 50 रुपये का जुर्माना आरोपित किया जाता है। गैर सायलन् को उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं तथा अनाधिकृत रूप से किये गये कब्जे को हटाकर भूमि को सरकारी तहवील में लेने तथा नियमानुसार जुर्माना वसूल कर जुर्माना राशि राजकोष में जमा करवाने के आदेश दिये जाते हैं। बेदखली एवं जुर्माना वसूली हेतु हल्का पटवारी, भू.अ.नि. रतनपुरा तथा मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 01.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



(ईश्वरलाल सोलंकी आर.टी.एस.)
तहसीलदार एवं कांटेदार का रजिस्ट्रर
गुड़ामालानी जिला - बाड़मेर

